भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3803

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: वर्तमान मानसून मौसम में फसल का नुकसान

3803. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान मानसून मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों से प्राप्त फसल के नुकसान के आकलन का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए विशेष वित्तीय सहायता हेतु प्रभावित राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे अनुरोधों की स्थिति क्या है और अब तक कितनी निधि संवितरित की गई है;

(घ) प्रभावित किसानों के लिए तत्काल किए गए राहत और पुनर्वास उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बार-बार आने की स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) या राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत
मुआवजे को बढ़ाने की योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.) के अनुसार, क्षति के आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने अधीन राज्य आपदा राहत कोष (एस.डी.आर.एफ.) से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालाँकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.डी.आर.एफ.) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इस प्रक्रिया के तहत एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आई.एम.सी.टी.) दौरा कर आपदा का आकलन करती है।

राज्यों को एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. के अंतर्गत आवंटित और जारी किए गए फ़ंड का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

बाढ़ और भारी वर्षा सहित किसी भी आपदा के कारण फसल हानि/क्षति से संबंधित डेटा का रख-रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ङ): एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि हुए/दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाती है। हालाँकि, एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. का आवंटन लगातार गठिन होने वाले वित्त आयोग (भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, समय-समय पर संपूर्ण अवधि के लिए गठित) के निर्णय पर आधारित होता है।

*****